संख्या- 64 /2026/I/ 1515795 /2026/11-4099/80/2025

प्रेषक,

अरविन्द सिंह,
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
राज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

राज्य कर अनुभाग-4 **लखनऊ : दिनांक 05 नवम्बर, 2026**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-89 के राजस्व लेखा के अन्तर्गत वाणिज्य कर **अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान** के विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोजन के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-बी-1-5-बजट/पुनर्विनियोजन/2026-2027/353/ राज्य कर, दिनांक 28.10.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-89 के राजस्व लेखा के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2040-बिक्री व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय आयोजनेत्तर के उपशीर्षक-06-वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान के मानक मद 01-वेतन में संभावित बचत के सापेक्ष लेखाशीर्षक 2040-800-06-वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान के विभिन्न 11 मानक मदों में कुल रू0 70.75 लाख की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-89 के राजस्व लेखा के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2040-800-06-**वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान** के विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि **कुल रू0 24.50 लाख (रुपये चौबीस लाख पचास हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति (**संलग्न प्रपत्र बीएम-9 के अनुसार**) निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं-

नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में नहीं की जायेगी।

3. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में दिनांक 31 मार्च, 2027 तक कर लिया जायेगा तथा स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि व्यय की जायेगी।

4. प्रस्तावित पुनर्विनियोग केवल बजट आवंटन के उद्देश्य से धनराशि की उपलब्धता हेतु किया जा रहा है। इसका व्यय समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए करेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2040008000600 (वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	089	2040008000600 वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ	02 मजदूरी	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
2	089	2040008000600 वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
3	089	2040008000600 वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ	08 कार्यालय व्यय	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
4	089	2040008000600 वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
5	089	2040008000600 वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
	कुल			**24,50,000** **(रुपये चौबीस लाख पचास हजार मात्र)**

महायोग	24,50,000 (रुपये चौबीस लाख पचास हजार मात्र)

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by
ARVIND SINGH
Date: 05-11-2026 17:40:21

(अरविन्द सिंह)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. एडीशनल कमिश्नर(लेखा), राज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7. नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट सिस्टम, राज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(अरविन्द सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A011-20262027-11-4099-80-2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या 89 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2040 बिक्री व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय आयोजनेत्तर के उपशीर्षक-06 वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान में प्राविधानित धनराशि से पुनर्विनियोजन के माध्यम से अतिरिक्त बजट व्यवस्था किये जाने के संबंध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
089	2040008000600 (वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ)	01 (वेतन)	7,21,00,000 रुपये सात करोड़ इक्कीस लाख मात्र	70,75,000 रुपये सत्तर लाख पचहत्तर हजार मात्र	70,75,000 रुपये सत्तर लाख पचहत्तर हजार मात्र	24,50,000 रुपये चौबीस लाख पचास हजार मात्र	6,96,50,000 रुपये छह करोड़ छियानबे लाख पचास हजार मात्र	2026-2027
कुल					₹ 70,75,000	₹ 24,50,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

,,,,,,,,,,

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
089	2040008000600 (वाणिज्य कर अधिकारी	58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं	40,00,000 रुपये चालीस लाख	25,00,000 रुपये पच्चीस लाख	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र	2026-2027
कुल				₹ 70,75,000	₹ 24,50,000		

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
	प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ)	हेतु भुगतान)	मात्र	मात्र			
089	2040008000600 (वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ)	46 (कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय)	6,00,000 रुपये छह लाख मात्र	5,00,000 रुपये पाँच लाख मात्र	0 शून्य	6,00,000 रुपये छह लाख मात्र	2026-2027
089	2040008000600 (वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ)	44 (प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय)	1,00,000 रुपये एक लाख मात्र	3,00,000 रुपये तीन लाख मात्र	0 शून्य	1,00,000 रुपये एक लाख मात्र	2026-2027
089	2040008000600 (वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ)	29 (अनुरक्षण)	5,00,000 रुपये पाँच लाख मात्र	6,00,000 रुपये छह लाख मात्र	0 शून्य	5,00,000 रुपये पाँच लाख मात्र	2026-2027
089	2040008000600 (वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ)	22 (आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि)	50,000 रुपये पचास हजार मात्र	50,000 रुपये पचास हजार मात्र	0 शून्य	50,000 रुपये पचास हजार मात्र	2026-2027
089	2040008000600 (वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ)	16 (व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान)	5,00,000 रुपये पाँच लाख मात्र	16,00,000 रुपये सोलह लाख मात्र	6,00,000 रुपये छह लाख मात्र	11,00,000 रुपये ग्यारह लाख मात्र	2026-2027
089	2040008000600 (वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ)	13 (टेलीफोन पर व्यय)	1,50,000 रुपये एक लाख पचास हजार मात्र	25,000 रुपये पच्चीस हजार मात्र	0 शून्य	1,50,000 रुपये एक लाख पचास हजार मात्र	2026-2027
089	2040008000600 (वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ)	12 (कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण)	8,00,000 रुपये आठ लाख मात्र	4,00,000 रुपये चार लाख मात्र	0 शून्य	8,00,000 रुपये आठ लाख मात्र	2026-2027
089	2040008000600 (वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ)	08 (कार्यालय व्यय)	20,00,000 रुपये बीस लाख मात्र	5,00,000 रुपये पाँच लाख मात्र	2,50,000 रुपये दो लाख पचास हजार मात्र	22,50,000 रुपये बाईस लाख पचास हजार मात्र	2026-2027
089	2040008000600 (वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ)	05 (स्थानान्तरण यात्रा व्यय)	2,50,000 रुपये दो लाख पचास हजार मात्र	1,00,000 रुपये एक लाख मात्र	1,00,000 रुपये एक लाख मात्र	3,50,000 रुपये तीन लाख पचास हजार मात्र	2026-2027
089	2040008000600 (वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ)	02 (मजदूरी)	5,00,000 रुपये पाँच लाख मात्र	5,00,000 रुपये पाँच लाख मात्र	5,00,000 रुपये पाँच लाख मात्र	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	2026-2027
कुल				₹ 70,75,000	₹ 24,50,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

(1) स्तम्भ-3 में बचत का कारण निम्नानुसार है-

शासन द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-2027 में अनुदान संख्या-089 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2040 के उपशीर्षक-06 वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान की मानक मद सं0-01 वेतन से सम्भावित बचत रु0 200 लाख (रुपये दो करोड मात्र) होने की पूर्ण सम्भावना है।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है-

1. मद सं0-02 मजदूरी :-

प्रश्नगत मद में चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में मानक मद सं0-02 मजदूरी के अंतर्गत रू०- 5,00,000 की धनराशि का बजट शासन द्वारा प्राविधान किया गया था। प्रश्नगत मद में माह जुलाई 2026 तक रु0 4,33,500 का भुगतान किया जा चुका है तथा रु0 66,500 की धनराशि अवशेष है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में उ०प्र० राज्य कर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान में पी आर डी जवानों के वेतन का भुगतान किये जाने हेतु शेष अनुमानित व्यय रु० 5,66,500 होना सम्भावित है।

अतः प्रश्नगत मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपया 5,00,000 की आवश्यकता है।

2. मद सं0-05-स्थानान्तरण यात्रा व्ययः-

प्रश्नगत मद में चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 मानक मद सं0-05 के अंतर्गत रू०-2,50,000.00 की धनराशि का बजट शासन द्वारा प्राविधान किया गया था। प्रश्नगत मद में मदों (04,05 व 45) की गुपिंग के अंतर्गत 3,20,200 का भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में उ०प्र० राज्य कर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान में स्थानान्तरण के फलस्वरुप कार्यभाग ग्रहण करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के यात्रा भत्ता देयकों के भुगतान को किये जाने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में शेष अनुमानित व्यय रुपया 1,00,000.00 (रु० एक लाख मात्र) का व्यय मानक मद सं0-05 में होना सम्भावित है।

अतः प्रश्नगत मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में रुपया 1,00,000.00 (रु० एक लाख मात्र) की आवश्यकता है।

3. मद सं0-08-कार्यालय व्ययः-

प्रश्नगत मद में चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 मानक मद सं0-08 के अंतर्गत रू०-20,00,000.00 की धनराशि का बजट शासन द्वारा प्राविधान किया गया था। प्रश्नगत मद में रू0 17,57,386 का भुगतान किया जा चुका है तथा रू0 2,42,614.00 की धनराशि अवशेष है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि लेखा पटल पर रू0 38,979.00 के बिल/देयक भुगतान हेतु लम्बित हैं एवं प्रति माह डीजल, फोटोकॉपी इत्यादि का नियमित भुगतान किया जाता है। जिसके सम्पादन हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में उ०प्र० राज्य कर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान में राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान में नव नियुक्त अधिकारी (राज्य कर अधिकारी-142 एव सहायक आयुक्त-196) के प्रशिक्षण हेतु वर्ष भर कार्यक्रम चलाये जाने हैं। जिसके फलस्वरूप कार्यालय एवं छात्रावासों में रखरखाव हेतु तथा जनरेटर डीजल के भुगतान को किये जाने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में शेष अनुमानित व्यय कुल रुपया 7,42,614.00 का व्यय मानक मद सं0-08 में होना सन्भावित है।

अतः प्रश्नगत मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपया 5,00,000 की आवश्यकता है।

4. मद सं०-12-कार्यालय फर्नीचर :-

प्रश्नगत मद में चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 मानक मद सं0-12 मे रू0- 8,00,000.00 की धनराशि का बजट शासन द्वारा प्राविधान किया गया था। प्रश्नगत मद में रू0 7,99,758 का भुगतान किया जा चुका है तथा रु० 242.00 की धनराशि अवशेष है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में उ०प्र० राज्य कर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान में प्रशिक्षण संस्थान कार्यालय लखनऊ एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान मोहन नगर, गाजियाबाद में प्रयोगार्थ फर्नीचर/उपकरण कय किये जाने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में शेष अनुनानित व्यय कुल रुपया 4,00,242.00 का व्यय मानक मद सं0-12 में होना सम्भावित है।

अतः प्रश्नगत मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपया 4,00,000 की आवश्यकता है।

5. मद सं0-13 टेलीफोन

प्रश्नगत गद में चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 मानक मद सं0-13 के अंतर्गत रू०-1,50,000.00 की धनराशि का बजट शासन द्वारा प्राविधान किया गया था। प्रश्नगत मद में रू0 60,106 का भुगतान किया जा चुका है।रू0 89894.00 की धनराशि अवशेष है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में उ0प्र0 राज्य कर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान में प्रशिक्षण संस्थान कार्यालय लखनऊ में कार्यालय के अतिरिक्त प्रशिक्षु अधिकारीं के लिए हास्टल में भी वाई-फाई की व्यवस्था की गयी है जिसके भुगतान हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में रोष अनुमानित व्यय कुल रुपया 1,14.894.00 मानक मद सं0-13 में होना सम्भावित है।

अतः प्रश्नगत मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026- 2027 में रुपया 25,000 की आवश्यकता है।

6 मद सं0-16 व्यवसायिक सेवाओं पर व्ययः-

प्रश्नगत मद में चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 मानक मद सं0-16 के अंतर्गत रू०- 5,00,000.00 की धनराशि का बजट शासन द्वारा प्राविधान किया गया था। प्रश्नगत मद में रू0 4,74,183.00 का भुगतान किया जा चुका है तथा रु0 25,817.00 की धनराशि अवशेष है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में उ0प्र0 राज्य कर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान में टी०डी०एस० रिटर्न दाखिल करने वाले अधिवक्ताओं/सेवा-दाता फर्मों के भुगतान हेतु लगभग रू0 1,00,000.00 एवं मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत 1-Go पोर्टल पर विभागीय पाठ्यक्रमों को अपलोड कर Live करने के कार्य को प्रभावी करने हेतु रु०-15,00,000.00 की आवश्यकता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में शेष अनुमानित व्यय कुल रुपया 16,25,817.00 का व्यय मानक मद सं0-18 में होना सम्भावित है।

अतः प्रश्नगत मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपया 16,00000.00 की अवश्यकता है।

7. 22-आतिथ्य व्यय

प्रश्नगत मद में चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 मानक मद सं0-22 के अंतर्गत रू०-50,000.00 की धनराशि का बजट शासन द्वारा प्राविधान किया गया था। प्रश्नगत मद में रू0 19,500.00 का भुगतान किया जा चुका है तथा रु0 30,500.00 की धनराशि अवशेष है साथ ही यह भी अवगत कराना है कि लेखा पटल पर रू0 66,758.00 के बिल/देयक बजट की अनुपलब्धता के कारण लम्बित है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में उ०प्र० राज्य कर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान मैं विगत

वर्ष की तुलना 22-आतिथ्य व्यय में अतिरिक्त बजट की अवश्यकता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में शेष अनुमानित कुल रुपया 80,500.00 का व्यय मानक मद सं०-22 में होना सम्मावित है।

अतः प्रश्नगत मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपया 50,000.00 की आवश्यकता है।

8. 29 अनुरक्षण:-

प्रश्नगत मद में चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 मानक मद सं0-29 के अंतर्गत रू०-5,00,000.00 की धनराशि का बजट शासन द्वारा प्राविधान किया गया था। प्रश्नगत मद में रू0 4,83,708.00 का भुगतान किया जा चुका है तथा रु० 6.282.00 की धनराशि अवशेष है, साथ ही यह भी अवगत कराना है कि लेखा पटल पर रू0 2,43,653,00 के बिल/देयक बजट की अनुपलब्धता के कारण लम्बित है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में उ०प्र० राज्य कर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान में प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं राजकीय कार्यों को सन्पादित करने हेतु आवश्यक उपकरणों के अनुरक्षण, लिफ्ट मेंटेनेन्स तथा अन्य कार्य हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में शेष अनुमानित व्यय कुल रुपया 6,06292.00 का व्यय मानक मद सं०-29 में होना सम्भावित है।

अतः प्रश्नगत मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपया 6,00,000.00 की आवश्यकता है।

9. 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय

प्रश्नगत मद में चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 मानक मद सं0-44 के अंतर्गत रू०-1,00,000.00 की धनराशि का बजट शासन द्वारा प्राविधान किया गया था। प्रश्नगत मद में रू0 32,500.00 का भुगतान किया जा चुका है तथा रु0 67,500.00 की धनराशि अवशेष है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में उ०प्र० राज्य कर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान में वर्ष भर प्रशिक्षण कार्यकम निरन्तर संचालित होते रहते हैं जिस कारण फोटोग्राफी, नोमेन्टों यू०पी0 भ्रमण कार्यक्रम (प्रशिक्षु अधिकारियों हेतु) तथा प्रशिक्षण पटल से सम्बन्धित अन्य व्ययों को नियमित रूप से भुगतान करना पड़ता है। क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र मोहन नगर, गाजियाबाद इस संस्थान की इकाई होने के कारण उसका भुगतान भी इस बजट से किया जाता है जिसके सम्पादन हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में शेष अनुमानित कुल रुपया 3,67,500.00 का व्यय मानक मद सं० 44 में होना सम्भावित है।

अतः प्रश्नगत मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपया 3,00,000.00 की आवश्यकता है।

10. 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर क्रय

प्रश्नगत मद में चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 मानक मद सं0-46 के अंतर्गत रू०-6,00,000.00 की धनराशि का बजट शासन द्वारा प्राविधान किया गया था। प्रश्नगत मद में रू0 5,66,770.00 का भुगतान किया जा चुका है तथा रु0 33,230.00 की धनराशि अवशेष है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में उ0प्र0 राज्य कर प्रसिक्षण एवं शोध संस्थान में प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं राजकीय कार्यों को सम्पादित करने हेतु आवश्यक कम्प्यूटर उपकरणों के कृय सम्बन्धी एवं सुरक्षा के दृष्टिगत सी०सी०टी०वी कैमरे सेटअप तथा अन्य कार्य हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में शेष अनुमानित कुल रुपया 5,33,230.00 का व्यय मानक मद सं०-46 में होना सम्भावित है।

अतः प्रश्नगत मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपया 5,00,000.00 की आवश्यकता है।

11. मद सं0-58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान -

प्रश्नगत गद में चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 मानक मद सं०-68 आउटसोर्सिंग सेवाओं से संबंधित भुगतान के अंतर्गत रू०- 40,00,000.00 (चालीस लाख रु०) की धनराशि का बजट शासन द्वारा प्राविधान किया गया था। प्रश्नगत मद में माह सितम्बर 2026 तक रू0 35,57,946.00 का भुगतान किया जा चुका है तथा रु0 4,42,054.00 की धनराशि अवशेष है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में उ०प्र० राज्य कर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, के संविदा सेवको/आउटसोर्सिंग कर्मियों के माह अक्टूबर 2026 से फरवरी 2027 तक के भुगतानों को किये जाने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में आंकलित व्यय के अनुसार शेष अनुमानित व्यय कुल रुपया 29,42,054.00 का व्यय मानक मद सं0-58 आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान होना सम्भावित है।

अता प्रश्नगत मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में रुपया 25,00,000.00 (रु० पच्चीस लाख मात्र) की आवश्यकता है।

(3) प्रमाणित किया जाना है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबंधो/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या: E-9-151-X-2026-27-दिनांक:4-11-2026

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।

अरविन्द सिंह
उप सचिव।

सिद्धार्थ श्रीवास्तव
अपर निदेशक वित्त।

संख्या : / , दिनांक- नवंबर, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज ।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. एडीशनल कमिश्नर (लेखा), राज्य कर, उ०प्र०, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन।
8. नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट सिस्टम, राज्य कर विभाग, उ०प्र० शासन।
9. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

अरविन्द सिंह
उप सचिव।